भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2175
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

आधार संख्या-आधारित आंकड़ों का साझाकरण

2175. श्री दर्शन सिंह चौधरी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों हेतु आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों का सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संग्रहण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों के उपयोग और साझाकरण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ड.):** आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 के अनुसार, सरकार को भारत/राष्ट्र की संचित निधि से वित्त पोषित कुछ योजनाओं के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है, जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है, तो उन्हें लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उन्हें आधार के लिए आवेदन करना होगा और जब तक आधार जारी नहीं किया जाता है, वे योजना का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आधार उपलब्ध न होने के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न हो। आधार अधिनियम में प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है कि प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी सूचना और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित किसी अन्य सूचना को पहुंच एवं उपयोग की दृष्टि से गोपनीय एवं संरक्षित रखा जाए तथा अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत ऐसी किसी भी सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं है।

अधिनियम में प्रावधान है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा एकत्र की गई कोर बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। इस सूचना का उपयोग केवल आधार संख्या सृजित करने और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसमें यह प्रावधान है कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास उपलब्ध पहचान संबंधी सूचना का उपयोग/खुलासा केवल उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी सूचना आधार संख्या धारक को प्रमाणीकरण अथवा ऑफलाइन सत्यापन के लिए कोई सूचना प्रस्तुत करते समय लिखित रूप में दी जाएगी। यूआईडीएआई ने निवासियों को लाभों, सेवाओं और सब्सिडी के सुगम, निर्बाध, कुशल, पारदर्शी और त्रुटि मुक्त लक्षित प्रदायगी की सुविधा के लिए सरकारी योजनाओं के तहत एकत्र किए गए डेटा के उपयोग और साझाकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में डेटा संरक्षण, डेटा भंडारण के प्रावधानों और निवासियों की गोपनीयता का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया गया है और साथ ही, निवासियों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की आवश्यकता है।

*****